

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 जून 2015

क्र. 1766-1719-2015-एक-4.—राज्य शासन विधान सभा उप निर्वाचन, 2015-गरोठ विधान सभा क्षेत्र, जिला मन्दसौर के लिए शासकीय मुद्रणालय में मतपत्रों की छपाई एवं मुद्रण से संबंधित कार्य आदि की देखरेख/समन्वय के लिये श्रीमती वंदना शर्मा, उपायुक्त (राजस्व), भोपाल को विधान सभा उप चुनाव 2015 संपन्न होने तक की अवधि के लिए पदेन उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी घोषित करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण तिवारी, प्रमुख सचिव.

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 जून 2015

आदेश

क्र. एफ. 1-34-2008-सात-शा. 6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से अशोकनगर जिले की विद्यमान तहसील मुंगावली की सीमाएं, उसमें से राजस्व वृत्त-1, अथाईखेड़ा के पटवारी हल्का क्रमांक 1 से 7 एवं 19 से 22 तक एवं राजस्व वृत्त-2 पिपरई के पटवारी हल्का क्रमांक 23 से 27 एवं 34 से 37 तक इस प्रकार कुल 20 पटवारी हल्के तथा विद्यमान तहसील चन्देरी की सीमाएं उसमें से राजस्व वृत्त-2, थुबौन के पटवारी हल्का क्रमांक 22 से 37 एवं राजस्व वृत्त-3, विक्रमपुर के पटवारी हल्का क्रमांक 38, 39 एवं 57 इस प्रकार कुल 19 पटवारी हल्के अपवर्जित करते हुए परिवर्तित करती है और तहसील मुंगावली के राजस्व वृत्त अथाईखेड़ा के पटवारी हल्का क्रमांक 1 से 7 एवं 19 से 22 तक एवं राजस्व वृत्त-2, पिपरई के पटवारी हल्का क्रमांक 23 से 27 एवं 34 से 37 तक इस प्रकार कुल 20 पटवारी हल्के एवं तहसील चन्देरी के राजस्व वृत्त-2, थुबौन के पटवारी हल्का क्रमांक 22 से 37 एवं राजस्व वृत्त-3, विक्रमपुर के पटवारी हल्का क्रमांक 38, 39 एवं 57 इस प्रकार कुल 19 पटवारी हल्के समाविष्ट करते हुए एक नई तहसील पिपरई का सृजन करती है, जिसमें कुल 39 पटवारी हल्के तथा 106 ग्राम होंगे। उक्त तहसील का मुख्यालय पिपरई में होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. सिंह, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 10 जून 2015

क्र. एफ. 1-34-2008-सात-शा. 6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ. 1-34-2008-सात-शा. 6, दिनांक 10 जून 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. सिंह, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 10th June 2015

ORDER

No. F-1-34-2008-VII-6.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 13 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government hereby alter the limits of existing Tehsil Mungawali of District Ashoknagar from the date of publication of this order in the official Gazette by excluding therefrom Patwari Halka Number 1 to 7 and Patwari Halka Number 19 to 22 of Revenue Circle 1 Athaikheda and Patwari Halka Number 23 to 27 and 34 to 37 of Revenue Circle-2, Piprai (total 20 Patwari Halkas) and of existing Tehsil Chanderi by excluding therefrom Patwari Halka Number 22 to 37 of Revenue Circle-2 Thubaun and Patwari Halka Number 38, 39 and 57 of Revenue Circle-3, Vikrampur and creates a new Tehsil Piprai by comprising of Patwari Halka Number 1 to 7 and Patwari Halka Number 19 to 22 of Revenue Circle-1, Athaikheda and Patwari Halka Number 23 to 27 and 34 to 37 of Revenue Circle-2, Piprai (total 20 Patwari Halkas) of present Tehsil Mungawali and Patwari Halka Number 22 to 37 of Revenue Circle-2, Thubaun and Patwari Halka Number 38, 39 and 57 of Revenue Circle-3 Vikrampur (total 19 Patwari Halkas) of Present Tehsil Chanderi, in which the total Patwari Halkas shall be 39 and villages shall be 106. The headquarter of the said Tehsil shall be at Piprai.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
K. K. SINGH, Principal Secy.